



बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014

संख्या व.सं./145/2021—04

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—03/01/2022

विषय— नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ—बखतियारपुर पथ एवं बिहारशरीफ—रहुई—निजय पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.05109355 हें वन भूमि का “सर्किल परिनियोजन प्रमुख, टेलिसोनिक नेटवर्क्स लि., पाटलीपुत्रा, पटना” के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेंसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ—बखतियारपुर पथ एवं बिहारशरीफ—रहुई—निजय पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.05109355 हें वन भूमि अपयोजन हेतु सर्किल परिनियोजन प्रमुख, टेलिसोनिक नेटवर्क्स लि., पाटलीपुत्रा, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। परियोजना का निर्माण नालंदा वन प्रमंडलन्तर्गत होना है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है—

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हें में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	नालंदा	0.05109355	0
	कुल	0.05109355	0

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल नालंदा जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से होकर गुजरती है। यह पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 1647 (E) दिनांक 20.12.1994 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.05109355 है। वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा एवं वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा किया गया है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है। ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपोशीट नक्शा पर दर्शाते हुए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रदर्शित है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।

8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।


1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।

9. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्बवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

10. Laying of underground optical fiber cable अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

11. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

In the construction of Airtel (Telesonic Network Ltd.) Optical Fiber Cable project in which Bihar Road, Biharsharif to Bakhtiyarpur Road and Biharsharif to Rahui to Nijay Road in Nalanda District are involved the use and diversion of aggregate area of 0.05109355 ha of forest land notified as "Protected Forest" being the tree plantations along the above mentioned roads in Nalanda District, is essential requirement of OFC Project on BSNL and justified in that context.

Therefore the proposed diversion of the 0.05109355 ha of forest lands under reference is recommended with the stipulations and conditions mentioned in the forwarding letter.

Date : ...03.../01/2022

Place : Patna

Signature

Name & Designation – Arvinder Singh
APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC)

(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना